रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)—72 REGISTERED No. D. (D N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 1981/माघ 14, 1903
No. 30] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 1981/MAGHA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1982

सं. 13/82—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का.आ.नि. 39(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 172/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,

(1) प्रथम पैरा के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि मद सं. 18-3 के अन्तर्गत आने वाले सेलुलोसी कते हुए सूत और मद सं. 18-क के अंतर्गत आने वाले सूती धागे की दशा में ऐसी छूट केवल ऐसे अवशिष्ट सूत (मोटा अपशिष्ट) को लागू होगी जो बुनाई के लिए उक्त सेलुलोसी कते हुए सूत और सूती धागे हटाए जाने के पूर्व अद्भूत हो ;"

(2) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

(क) अपशिष्ट सूत (मोटा अपशिष्ट) मद सं. 18-3, 18-क, 18ग, 18ङ और 18च के अन्तर्गत आने वाले सूत की दशा में निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(1) उलझे स्थूल में ऐसे सूत की कम लम्बाई जो पर्याप्त श्रम के बिना सुलझाए जाने की स्थिति में न हो ; या

(2) ऐसे सूत की कम लम्बाई जो तीन मीटर से अधिक न हो, यदि वे उलझे स्थूल के रूप में न हो ; या

(ख) "अपशिष्ट सूत (मोटा अपशिष्ट)" से मद सं. 18ख के अन्तर्गत आने वाले ऊनी और एक्राइलिक

कते हुये सूत की दशा में निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(1) आकार में असामान्य ;

(2) ढीला कता ;

(3) दृश्य परीक्षा और हैण्डल करने से यह सिद्ध होने पर कि सूत का, फैब्रिक में बुनाई के लिए सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता ; और

(4) टाट के बोरों में पैक किया हुआ ।

[फा. सं. 48/2/79-सी एक्स-2]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1982

No. 13|82—Central Excises

G.S.R. 39(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (I) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 172|72-Central Excises dated the 24th July, 1972, namely:—

In the said notification,—

(1) after the first paragraph and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that in case of Cellulosic spun yarn falling under Item No. 18-III and cotton yarn falling under Item No. 18A such exemption shall apply only to such waste yarn (hardwaste) as may arise prior to removal of the said Cellulosic spun yarn and cotton yarn for weaving;"

(2) for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

'Explanation:—For the purposes of this notification—

(a) "Waste yarn (hardwaste)" in case of yarn falling under Item Nos. 18-III, 18A, 18C, 18E and 18F shall mean—

(i) short lengths of such yarn in tangled mass not capable of being disentangled without considerable labour ; or

(ii) short lengths, not exceeding three metres, of such yarn even if they are not in the form of an entangled mass;

(b) "Waste yarn (hardwaste)" in the case of woollen and acrylic spun yarn falling under Item No. 18B shall mean—

(i) irregular in shape ;

(ii) loosely spun;

(iii) established by visual examination and handling that the yarn is incapable of being directly used for weaving into fabrics; and

(iv) packed in gunny bags.

[F. No. 48|2|79-CX.2]

सं. 14/82—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 40(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 59/65-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1965 को विखण्डित करती है ।

[फा.सं. 48/2/79-सी एक्स-2]

No. 14/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 59|65-Central Excises dated the 1st April, 1965.

[F. No. 48|2|79-CX.2]

सं. 15/82—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 41(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 95/61-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

"उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण के खण्ड (3) का लोप किया जाएगा ।"

[फा. सं. 48/2/79-सी.एक्स.-2]

डी.मेहता, अवर सचिव

No. 15/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 95|61-Central Excises dated the 1st April, 1961, namely :—

"In the said notification, clause (3) of the Explanation shall be omitted"

[F. No. 48|2|79-CX. 2]

D. MEHTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982